Australian Government
Department of Home Affairs

COVID-19 का परीक्षण और उपचार

यदि आपके पास वीज़ा नहीं है, या यदि आप अपने वीज़ा की स्थिति के बारे में अनिश्चित हैं, तो आपके लिए यह आवश्यक है कि आप जनस्वास्थ्य निर्देशों का पालन करें। यदि आप अस्वस्थ महसूस कर रहे/रही हैं, तो चिकित्सीय सलाह लें और COVID-19 का परीक्षण करवाएँ।

राज्य और राज्य-क्षेत्रों की सरकारें निःशुल्क COVID-19 परीक्षण और उपचार उपलब्ध करा रही हैं।

- ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र
- न्यू साउथ वेल्स
- उत्तरी राज्य-क्षेत्र
- क्वींसलैंड
- दक्षिण ऑस्ट्रेलिया
- तस्मानिया
- विक्टोरिया
- पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया

विक्टोरिया में आव्रजन चिकित्सीय (Immigration Medical) परीक्षण

COVID-19 से संबंधित आगे के प्रतिबंधों के कारण विक्टोरिया में सभी आव्रजन चिकित्सीय परीक्षण [Immigration Medical Examinations] अस्थायी रूप से स्थगित कर दिए गए हैं। आगे की जनस्वास्थ्य घोषणाओं के आधार पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

मेरे पास कार्यरत अवकाशकर्ता [Working Holiday Maker] वीज़ा है

कार्यरत अवकाशकर्ता [Working Holiday Maker] वीज़ाओं की अवधि को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। परंतु यदि आपने ऑस्ट्रेलिया में तीन या छह महीनों के लिए 'विशिष्ट कार्य' पूरा कर लिया है, तो आप संभवतः दूसरे या तीसरे डब्ल्यूएचएम [WHM] वीज़ा के लिए आवेदन करने में सक्षम हो सकते/सकती हैं।

और अधिक जानकारी के लिए विशिष्ट कार्य की शर्तें देखें।

अब कार्यरत अवकाशकर्ता (डब्ल्यूएचएम) [Working Holiday Makers (WHM)] दूसरे या तीसरे WHM वीज़ा का आवेदन करने के लिए 31 जनवरी 2020 के बाद ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सीय क्षेत्रों में किए गए महत्वपूर्ण COVID-19 कार्य की गिनती 'विशिष्ट कार्य' की श्रेणी में कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए नवीनतम समाचार देखें ।

यदि आप दूसरे या तीसरे WHM वीज़ा के लिए पात्र नहीं हैं और आप महत्वपूर्ण COVID-19 के क्षेत्र में काम नहीं कर रहे/रहीं हैं, तो आपको किसी अन्य वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहिए। यह आपको तब तक वैध रहने देगा जब तक आप अपने गृह देश वापिस नहीं चले जाते/जाती हैं। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा, वृद्ध और विकलांगता देखभाल और शिशु देखभाल COVID-19 के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्षेत्र माने जाते हैं।

आपकी परिस्थितियों के आधार पर आप आगंतुक [Visitor] वीज़ा (उपवर्ग 600) के लिए पात्र हो सकते/सकती हैं।

नया वीज़ा प्राप्त करने के लिए आपको उस वीज़ा की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, जिसमें आयु सीमाएँ, अंग्रेज़ी भाषा, स्वास्थ्य और चरित्र-संबंधी आवश्यकताएँ शामिल हैं।

दूसरे या तीसरे WHM वीज़ा के लिए आवेदन करना

आप दूसरे या तीसरे कार्यरत अवकाशकर्ता [Working Holiday] (उपवर्ग 417) वीज़ा या कार्य और अवकाश [Work and Holiday] (उपवर्ग 462) वीज़ा के लिए पात्र हो सकते/सकती हैं। विभाग की वेबसाइट पर अपनी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में खोज करें:

- दूसरा कार्यरत अवकाशकर्ता [Second Working Holiday] (उपवर्ग 417) वीज़ा
- तीसरा कार्यरत अवकाशकर्ता [Second Working Holiday] (उपवर्ग 417) वीज़ा
- दूसरा कार्य और अवकाश [Work and Holiday] (उपवर्ग 462) वीज़ा
- तीसरा कार्य और अवकाश [Work and Holiday] (उपवर्ग 462) वीज़ा

अपने वर्तमान वीज़ा की अवधि समाप्त होने से पहले आपको नए वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा। आपको एक ब्रिजिंग वीज़ा प्रदान किया जा सकता है, जो आपके वीज़ा आवेदन पर निर्णय लिए जाने तक ऑस्ट्रेलिया में आपको वैध बनाए रखेगा।

वीज़ा शर्त 8547 — एक कार्य-नियोक्ता के साथ अधिकतम छह महीनों के लिए कार्य करने की सीमा

ऑस्ट्रेलिया में अपने निवास के दौरान कार्यरत अवकाशकर्ता [Working Holiday Makers] किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, परंतु यह सामान्य रूप से एक कार्य-नियोक्ता के साथ अधिकतम छह महीनों के लिए सीमित होता है, जब तक विभाग [Department] ने एक ही कार्य-नियोक्ता के साथ छह महीनों से अधिक अवधि के लिए कार्य करने की अनुमति न दी हो।

कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा, वृद्ध देखभाल, विकलांगता देखभाल और शिशु देखभाल के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करने वाले कार्यरत अवकाशकर्ताओं [Working Holiday Makers] को विभाग ने छह महीने से अधिक समय तक एक ही कार्य-नियोक्ता के लिए काम करने की अनुमति प्रदान की है।

मैं महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम करता/करती हूँ

अब कार्यरत अवकाशकर्ता (डब्ल्यूएचएम) [Working Holiday Makers (WHM)] दूसरे या तीसरे WHM वीज़ा का आवेदन करने के लिए 31 जनवरी 2020 के बाद ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सीय क्षेत्रों में किए गए महत्वपूर्ण COVID-19 कार्य की गिनती 'विशिष्ट कार्य' की श्रेणी में कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए नवीनतम समाचार देखें ।

इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करने वाले जो कार्यरत अवकाशकर्ता [Working Holiday Makers] दूसरे या तीसरे WHM वीज़ा के लिए पात्र नहीं हैं और अपने गृह-देश वापिस नहीं जा सकते हैं, वे COVID-19 महामारी से संबंधित अस्थायी कार्य वीज़ा (उपवर्ग 408) ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा अनुमोदित सहमति (एजीईई) धारा वीज़ा [COVID-19 pandemic Temporary Activity Visa (subclass 408) Australian Government Endorsed Agreement Event (AGEE) stream visa] के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं। इसके लिए कोई वीज़ा आवेदन शुल्क नहीं होगा।

यह वीज़ा आपको तब तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करना जारी रखने की अनुमति देगा, जब तक आप अपने गृह-देश वापिस जाने में समर्थ नहीं हो जाते/जाती हैं।

और अधिक जानकारी के लिए विशिष्ट कार्य की शर्तें देखें।

आर्थिक कठिनाइयों का अनुभव करने वाले वीज़ा धारक

यदि आप स्वयं अपना आर्थिक समर्थन करने में असमर्थ हैं, तो आपको अपने गृह-देश वापिस जाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

यदि आप अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में असमर्थ हैं, तो आप वित्तीय वर्ष 2019-20 में अपने ऑस्ट्रेलियाई सुपरएन्युएशन में से अधिकतम $10,000 तक की धनराशि का कर-मुक्त उपयोग कर सकते/सकती हैं ।

कृपया सुपरएन्युशन का समयपूर्व उपयोग करने से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई कराधान कार्यालय का वेबपेज को देखें

COVID-19 महामारी घटना वीजा [COVID-19 Pandemic Event Visa]

यदि आपका डब्ल्यूएचएम [WHM] वीज़ा समाप्त हो रहा है, आप किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम नहीं कर रहे/रही हैं, आप प्रवेश से संबंधित प्रतिबंधों के कारण अपने गृह-देश वापिस जाने में असमर्थ हैं और किसी अन्य वीज़ा की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते/सकती हैं, तो भी आप COVID-19 महामारी घटना वीज़ा [COVID-19 Pandemic Event Visa] के लिए पात्र हो सकते/सकती हैं । आपको यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी कि आप किसी अन्य वीजा की आवश्यकताओं को पूरा क्यों नहीं कर सकते/सकती हैं। इसमें एक वक्तव्य और इस बारे में प्रमाण शामिल हो सकते हैं कि आपके पास वीज़ा आवेदन शुल्क (वीएसी) का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है।